8/27/2018

पुष्ट विलेख 60

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 90 के पृष्ठ 151 से 178 तक क्रमांक 10 पर
दिनाँक 27/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र कुमार सक्सेना
उप निबंधक : अतरौली
अलीगढ़
27/08/2018

A-K/5

10

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट डीड पहचान मुकिर :–आधार कार्ड– 687223236416, मो०नं०:– 9811794676

AA 762510

यह विलेख आज दिनाँक–25–अगस्त–2018 को श्री प्रवीन कुमार पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0– ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ उ0प्र0 द्वारा निष्पादित किया गया।

1–ट्रस्ट का नाम– श्री कुमर सैन शर्मा एजूकेशनल ट्रस्ट ।

2–ट्रस्ट का पता– ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ ।

शाखा कार्यालय– ट्रस्ट की शाखायें भारतवर्ष में अन्य स्थानों पर भी स्थापित की जा सकती है ।

3–ट्रस्ट में लगाया गया धन–ट्रस्ट में लगया गया धन 10,000/–(दस हजार रूपये) नगद धनराशि श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ उ0प्र0 द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गई वर्तमान में ट्रस्ट के पास उक्त धनराशि के अलावा कोई अचल चल सम्पत्ति नही है।

"भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवम् स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ के लिये स्वीकार करेगा ।"

4–ट्रस्ट के तत्व–*ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है:–*

ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है । आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा । इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी के द्वारा विश्वासपूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे:–

1–श्री प्रवीन कुमार पुत्रश्री सुरेश चन्द्र शर्मा नि0–ग्राम व पो0 हरदोई तह0 अतरौली जिला–अलीगढ

——मुख्य ट्रस्टी